न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–आर0 के0 जायसवाल, आई.ए.एस , कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर

प्रकरण संख्या :– 05/2022 (जी0सी0एम0एस0 नं0 2022/1)

व उनवानी प्रकरण :–

विशाल सिंह पुत्र हाकिम सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम कैलाशपुरा थाना मंनिया जिला धौलपुर ----------प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग जिला कलेक्ट्रैट धौलपुर ----------अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/ नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा एडवोकेट
2. अप्रार्थी की ओर से :– सुश्री दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक प्रथम)

निर्णय दिनांक 31.03.2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी विशाल सिंह पुत्र हाकिम सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम कैलाशपुरा थाना मंनिया जिला धौलपुर द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 02/2001 जो कि दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 08.12.2016 को अप्रार्थी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 5582 दिनांक 27.12.2016से प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुसंषा की थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आदेश कमांक 4079 दिनांक 20.09.2018 के द्वारा प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 02/2001 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये थे।

उक्त आदेश दिनांक 20.09.2018 से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 02.11.2021 के द्वारा प्रार्थी की अपील स्वीकार कर अप्रार्थी के आदेश कमांक 4079 दिनांक 20.09.2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर तथ्यों एवं संभावनाओं के परस्पर विरोधाभास को दूर करते हुए पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 02.11.2021 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से रधुनाथप्रसाद शर्मा अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी की ओर से सुश्री दिव्या कमठान लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुई। अनुज्ञा पत्र वहाल/नवीनीकरण के सम्बन्ध में पत्र कमांक 8 दिनांक 12.01.2022 एंव 87 दिनांक 08.02.2022 से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 783 दिनांक 16.02.2022 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी विशालसिंह के विरूद्ध आपराधिक रिकार्ड थाने पर (1) मु0 नं0 143/91 धारा 147, 323, 324, 34 आई.पी.सी. में चार्जशीट किता कर पेश न्यायालय किया गया जो न्यायालय द्वारा दिनांक 25.6.1991 को बरूये राजीनामा बरी किया गया है (2) मु0न0 204/2002 धारा 323, 341,336 आई.पी.सी. में चार्जशीट किता कर पेश न्यायालय किया गया जो न्यायालय द्वारा दिनांक 5.8.2004 को बरूये राजीनामा बरी किया गया है। (3) मु0न0 255/2004 धारा 336 आई.पी.सी. में चार्जशीट किता कर पेश न्यायालय किया गया जो न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ दिया जाकर आरोप साबित नहीं होने पर दोषमुक्त किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी उक्त रिपोर्ट में प्रार्थी के आर्म्स अनुज्ञा पत्र संख्या 2/2001 को बहाल कर नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 02/2001 को समयावधि में नवीनीकरण कराये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 5582 दिनांक 27.12.2016 द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थी के विरूद्ध थाना राजाखेड़ा पर (1) मु0 नं0 143/91 धारा 147, 323, 324, 34 आई.पी.सी. में न्यायालय द्वारा दिनांक 25.6.1991 को दोषमुक्त (2) मु0न0 204/2002 धारा 323, 341,336 आई.पी.सी. में न्यायालय द्वारा दिनांक 5.8.2004 को दोषमुक्त (3) मु0न0 255/2004 धारा 336 आई.पी.सी. में न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। प्रार्थी का चाल चलन सही रहा है। उक्त प्रकरणों का पूर्व में ही निस्तारण हो चुका है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई भी दोष सावित नहीं हुआ है। वर्ष 2004 के पश्चात् प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नियमित रूप से नवीनीकरण होता आ रहा है। जिला पुलिस

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि उक्त अवधि में प्रार्थी द्वारा शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है । प्रार्थी का चाल चलन अच्छा रहा है। प्रार्थी एक सीधा सादा व्यक्ति है। प्रार्थी को जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। शस्त्र थाने में जमा है जिसके खराब होने की आशंका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 02/2001 को बहाल कर नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान तर्क किया कि प्रार्थी अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरूद्ध थाना राजाखेड़ा में पूर्व में तीन आपराधिक मुकदमा दर्ज है। प्रार्थी एक झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है, जो कभी भी हथियार का दुरूपयोग कर कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति भंग कर सकता हैं। ऐसे हालातों के मद्दे नजर लोकशान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, जो कतही गलत नहीं है। आदेश दिनांक 20.09.2018 को कानून के दायरे में रहकर ही पारित किया गया है, जो पूर्णरूपेण न्यायसंगत है, जिसमें कतई किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की वहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया । प्रार्थी ने समयावधि में अपना शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध वर्तमान में थाने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के विरूद्ध मु0 नं0 143/91 धारा 147, 323, 324, 34 आई.पी.सी. में न्यायालय द्वारा दिनांक 25.6.1991 को दोषमुक्त, मु0न0 204/2002 धारा 323, 341,336 आई.पी.सी. में न्यायालय द्वारा दिनांक 5.8.2004 को दोषमुक्त एवं मु0न0 255/2004 धारा 336 आई.पी.सी. में न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। उक्त प्रकरणों का पूर्व में ही निस्तारण हो चुका है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई भी दोष सावित नहीं हुआ है। वर्ष 2004 के पश्चात् प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नियमित रूप से नवीनीकरण होता आ रहा है। वर्ष 2004 के पश्चात् प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नियमित रूप से नवीनीकरण होता चला आ रहा है। वर्ष 2004 के पश्चात् प्रार्थी के विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना बताया हैं। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल/नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की है। प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 02/2001 दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प.1.(13)गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बावत निर्देश दिये गये हैं कि **"तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत संतुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा।"** राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी विशाल सिंह पुत्र हाकिम सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम कैलाशपुरा थाना मंनिया जिला धौलपुर के आर्म्स अनुज्ञापत्र को बहाल कर नवीनीकरण किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा पारित आदेश कमांक 4079 दिनांक 20.09.2018 निरस्त किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 02/2001 को बहाल करने एवं दिनांक 31.12.2016 से निरन्तर आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को दी जावे। पत्रावली फैसलशुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर